राजस्थान सरकार
स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रमांक:प.4(6)स्टे.मो.गै./2003 जयपुर, दिनांक : 20 जनवरी,2004

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 23(85)सा.प्र./1/90 दिनांक 3.6.98 द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को रूपये 200/– प्रतिमाह भुगतान के आधार पर राजकीय वाहन को निवास से कार्यालय तथा कार्यालय से निवास तक आने–जाने के लिए उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया था :

1. मुख्य सचिव ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव ।
3. समस्त पुलिस महानिदेशक ।
4. समस्त प्रमुख सचिव / शासन सचिव ।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त ।
6. समस्त पुलिस महानिरीक्षक ।
7. समस्त शासन विशिष्ठ सचिव ।
8. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष ।
10. समस्त जिला कलेक्टर ।
11. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो ।
12. पुलिस मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त पुलिस अधीक्षक, कमाण्डेण्ट, आर.एस.ी., पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन, राज्यपाल के ए.डी.सी. एवं प्राचार्य पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर/जोधपुर ।
13. भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय वन सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रंखला एवं उससे उच्च श्रेणी के अधिकारी, जिनके पास राजकीय वाहन उपलब्ध हैं ।

तत्पश्चात् इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 21(17)सा.प्र./1/92 दिनांक 24.11.1999 द्वारा राजकीय वाहन मय वाहन चालक पी.ओ.एल. एवं संधारण व्यय वहन करने की शर्त पर आदेश के अनुच्छेद–7 के तहत आवण्टित कराने की सुविधा सम्बन्धित अधिकारी की मांग पर प्रदान की गई थी । पूर्व में व्यवस्थानुसार सम्बन्धित अधिकारी के वेतन से रूपये 200/– प्रतिमाह की कटौती कर वाहन उपलब्ध कराने

सम्बन्धी सुविधा समाप्त हो गई थी । लेकिन राजस्व प्रशासन एवं कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की यह सुविधा समाप्त नहीं की गई थी ।

2. इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, जो वाहन हेतु अधिकृत हैं एवं इस विभाग द्वारा जारी उक्त आदेशों के कम में किसी सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, वे कार्मिक विभाग के आदेश कमांक प. 5(38)कार्मिक/क–1/01 दिनांक 2.2.2002 के अनुसार यातायात भत्ता प्राप्त कर रहे हैं ।

3. अब विभाग के आदेश दिनांक 3.6.98 एवं 24.11.99 को संशोधित कर नवीन व्यवस्था के तहत निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

अ. अनुच्छेद–1 में उल्लेखित अधिकारी, जो चिन्हित राजकीय वाहन के लिये अधिकृत हैं, वे निवास से कार्यालय आने–जाने के लिए यदि विभागीय पूल वाहन का उपयोग करना चाहें, तो ऐसे अधिकारी के वेतन से 300/– रूपये प्रतिमाह की कटौती की जा कर यह सुविधा देय होगी ।

ब. इस विभाग के आदेश क्र. प.21(17)साप्र/1/92 दिनांक 24.11.99 के अनुच्छेद 7 एवं 8 के तहत प्रदत्त सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है । जिन अधिकारियों को उक्त अनुच्छेद 7 एवं 8 के तहत वाहन/चालक आवंटित है, वे अधिकारी ऐसे वाहन/चालक को दिनांक 1 फरवरी, 2004 तक स्टेट मोटर गैराज को समर्पित करेंगे ।

स. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी यदि उपरोक्त व्यवस्थाओं के अनुसार किसी कारणवश वाहन का उपयोग नहीं कर पाते है तो उन्हे कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.2.2002 के आधार पर नियमानुसार वाहन भत्ता देय होगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा उन्हीं अधिकारियों को देय होगी, जिनके पास पूर्व में राजकीय वाहन उपलब्ध है तथा अधिकारियों को इस व्यवस्था हेतु कोई नया वाहन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा । यदि किसी अधिकारी के पास राजकीय वाहन आवंटित नही है तो यह आदेश उन्हें राजकीय वाहन आवंटन/उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत नहीं करेगा ।

उक्त आदेश वित्त विभाग के आई.डी. कमांक: PSF/320 दिनांक 19.1.2004 की सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं ।

20/1/04
(चन्द्र मोहन मीना)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ।
3. समस्त शासन प्रमुख सचिव, राजस्थान ।
4. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, आरक्षी, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, महामहिम राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
6. समस्त शासन सचिव/शासन विशिष्ठ सचिव, राजस्थान ।
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान ।
8. समस्त जिला कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष ।
10. निजी सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर ।
11. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
12. निजी सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
13. निजी सचिव/विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान सरकार ।
14. निजी सचिव, सरकारी मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
15. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर ।
16. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
17. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
18. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
19. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर ।
20. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख) विभाग/पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर ।
21. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
22. रक्षित पत्रावली ।

20.1.04
शासन उप सचिव